

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 43/2021

निर्णय दिनांक: 24/12/2021

1. पप्पुनाथ पुत्र सोहननाथ जाति सिद्ध निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ
2. सुशीला पत्नि पप्पुनाथ जाति सिद्ध निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ

-प्रार्थी-

-बनाम-

1. यासीन पुत्र रहमतुल्ला जाति मुसलमान निवासी श्रीडूंगरगढ
2. वर्षा पुत्री सुशील जाति ब्राह्मण निवासी श्रीडूंगरगढ
3. संजु पुत्री सुशील जाति ब्राह्मण निवासी श्रीडूंगरगढ
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व श्रीडूंगरगढ

-अप्रार्थीगण-

उपस्थिति:-

1. प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण की तरफ से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निम्न प्रकार प्रस्तुत है प्रार्थीगण ने उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश कर दिया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नंबर 1004 रकबा 7.1600 हैक्टेयर बरानी रोही ग्राम जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ मे स्थित है। जिस पर कब्जा काश्त हिस्सा अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का शांतिपूर्वक निरन्तर चला आ रहा है। वादगत रकबा मे प्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा (0.895 हैक्टेयर) व प्रार्थी संख्या 2 का 11/96 हिस्सा (0.8204) कुल 1.7154 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिस पर प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जा काश्त चली आ रही है जो वादगत रकबा मे दक्षिण दिशा मे है तथा प्रार्थीगण ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर खाद आदि डालकर सरलीकरण कर उपजाऊ बना रखी है एवं अपने हिस्सा की भूमि पर पानी का कुण्ड झोपडा बना रखा है। इसलिये प्रार्थीगण को वादगत रकबा मे अपने हिस्सा का विभाजन करवाने का अधिकार प्राप्त है।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अलग अलग गांव अलग जाति व अलग अलग परिवार के होने के कारण संयुक्त रूप से काश्त किया जाना संभव नहीं रहा है। इसलिये प्रार्थीगण ने दिनांक 05.02.2021 को अप्रार्थीगण को तहसील कार्यालय चलकर वादगत रकबा मे कब्जा काश्त के अनुसार अपने अपने हिस्सा का विभाजन करवाने का निवेदन किया तो तो अप्रार्थीगण ने इंकार कर दिया व प्रार्थीगण को धमकी देते हुये कहा कि हम उक्त खेत मे तुम्हारे हिस्सा की भूमि पर कब्जा कर तुम्हारे हिस्से की भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति का विक्रय कर देगे ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण के लिये अप्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। उक्त खेत प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के होने से व प्रार्थीगण का अपने अपने हिस्से पर कब्जा



(Signature)

कारण व उपयोग उपयोग बाद आपने से प्रथम दृष्टया भागला व सुविधा का अनुभव प्रार्थीगण के ध्या में है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को वादगत खेत को मलत लय से विकस्य रहन वैध करने की धमकी दे रह है। अगर अप्रार्थीगण अपने मलत उद्देश्यो में सकल हो गये तो प्रार्थीगण अपूर्तिव्य क्षति होगी ।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 तलवी समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी लेकिन न्यायालय में निर्धारित दिनांक तक अप्रार्थी 2 ता 3 जरिये असातलतन व वकालतन उपस्थित नहीं हुये लिहाजा इनके एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवदेन किया गया जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त खसरा नंबर 1004 की वास्तविक स्थिति यह कि खसरा मौका पर अलग अलग है तथा प्रार्थीगण ने अपने हिस्से भूमि तक अपनी सीव कयाम कर रखी है। अप्रार्थी संख्या 1 पर अनुचित दवाब बनाये हुए है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के विन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने के कारण वादगत भूमि पर दिनांक 10.02.2021 को जारी अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया ।



*Devg*

उपस्थान अधिकारी  
श्री श्री कृष्ण साहू (नर)